

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,
किसान इण्टर कालिज,
खरड़, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : मा०शि०प०/मान्यता /मे०/ 158

दिनांक— 24 जुलाई, 2025

विषय: इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में :-

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या: 912/ 15-7-2025 -1 (02)/2025 उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ दिनांक 18 जुलाई, 2025 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 (संशोधित-1987) की धारा 7क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था: किसान इण्टर कालिज खरड़, मुजफ्फरनगर को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2027 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग की वित्त विहीन मान्यता अधिनियम की धारा 7 क (क) के अन्तर्गत दिये जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) विद्यालय को प्रदान की गयी मान्यता के अतिरिक्त अन्य अमान्य कक्षाएं संचालित न की जायें।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से संयुक्त व्यक्तियों को अपने निजी स्रोतों से व्यवस्था के लिए प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर प्रभावी होगा।
- (5) यह मान्यता वित्त विहीन प्रदान की जा रही है। विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था तथा साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने निजी स्रोतों से वहन की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएँ संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) यदि प्रदत्त मान्यता के पश्चात मान्यता प्रदान किये जाने के समय प्रस्तुत संस्थाओं के मानकों में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। और तदनुसार कमी पाये जाने पर प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ख) प्रतिभूति (जमानत) की धनराशि रुपये 5000=00 रुपये (5,000=00) प्रति वर्ग की दर से विद्यालय के नाम एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बन्धक करा कर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।
- (ग) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान० उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरीफिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
- (घ) विद्यालय में प्राइमरी कक्षाएँ मान्य नहीं होगी।
- (ङ) प्रदान की जा रही मान्यता का नवीनीकरण 03 के उपरान्त कराना अनिवार्य होगा।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
------	---------------	---------------

इण्टर कृषि वर्ग अतिरिक्त— भाग-1 एवं भाग-2 के समस्त अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषय।

टिप्पणी — इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः)माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(ज्योति प्रसाद)

अपर सचिव

माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र०मेरठ

पृष्ठांकन सं०: मा०शि०प०/मान्यता /मं० /158 (1-4)

दिनांक-24 जुलाई, 2025

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर।

(ज्योति प्रसाद)

अपर सचिव